AGRA POLICE

"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"

प्रेसनोट थाना फतेहपुर सीकरी जनपद आगरा।   दिनांक 16.06.2022

थाना फतेहपुर सीकरी पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में हुयी हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से आलाकत्ल बरामद.....

दिनांक 15.06.2022 को वादी रामवीर द्वारा सूचना दी गयी कि हम दो भाई हैं मेरे छोटे भाई का नाम राजू है। मेरी शादी हो गयी है एवं राजू अविवाहित है। हमारे घर कुंवरपाल कबाड़ की दुकान करने वाले व्यक्ति का आना जाना था, जिसका मेरा भाई विरोध करता था। इस बात को लेकर कुंवर पाल राजू से दुश्मनी रखता था। राजू और कुंवरपाल का पहले भी कई बार झगड़ा हो चुका था। कुंवरपाल ने राजू को जान से मारने की धमकी दी थी। दिनांक 12.06.2022 को वह घर आया था और मेरे भाई को अपने साथ ले गया। वह अकसर मेरे भाई का शराब पिलाता रहता था। मेरा भाई शराब पीने का शौकीन था। दिनांक 12 के बाद मेरा भाई घर पर नहीं आया हमने सोचा कि किसी रिश्तेदारी में चला गया होगा, लेकिन आज गांव के कुछ लोगों से पता चला कि एक शव पुलिस को झाड़ियों में मिला है, देखने पर पता चला वह मेरे भाई राजू का शव है। इस सम्बन्ध में थाना फतेहपुर सीकरी पर मु0अ0सं0 166/22 धारा 302/201 भादवि पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त घटना के सफल अनावरण करने एवं संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पश्चिमी के नेतृत्व में, क्षेत्राधिकारी अछनेरा के सफल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी फतेहपुर सीकरी को टीम गठित कर आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में थाना पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में गश्त की जा रही थी। गश्त के दौरान पुलिस टीम जब उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त कुंवरपाल कवाड़ी कहीं जाने की फिराम में कोरई पुल के ऊपर भरतपुर की ओर आने वाले रास्ते पर खड़ा हुआ है, यदि जल्दी की जाये तो गिरफ्तार किया जा सकता है।

उपरोक्त प्राप्त सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम बताये स्थान पर पहुंची। पुलिस टीम को देख अभियुक्त भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा चारों ओर से घेरकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ का विवरण :–

पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि मैं कोरई टोल के आगे चांद होटल के पास कबाडी की दुकान करता हूं मेरा राजू पुत्र रमेश नि0 नगला कोरई के घर पर अक्सर आना

जाना था मैं राजू की भाभी रिन्की से बातचीत करता था तथा रात को भी फोन से उनके घर के नम्बर पर काफी देर बात किया करता था जिस चीज का राजू विरोध करता था। इस बात को लेकर पहले कई वार मेरी व राजू की कहा सुनी भी हो चुकी है। राजू शराब पीने का शौकीन था मै भी शराब पीता हूं। जब राजू मुझसे ज्यादा नाराज हो जाता था तो मै उसके साथ ठेके पर ले जाकर इच्छानुसार शराब पिला देता था, लेकिन मुझे उसका अपनी भाभी से बात करने से मना करना तथा रोकना व टोकना वहुत वुरा लगता था। इसी बात को लेकर मैं राजू से दुश्मनी मानता था तथा उसको रास्ते से हटाने की फिराक मे था।

दिनांक 12.06.2022 को मैं राजू को उसके घर से शराब पिलाने के बहाने से ले कर आया था तथा हम दोनो भडकौल ठेके पर गये, वहां से हम दोनो शराब लेकर वापस दुकान पर आये तथा हम दोनो ने कबाड की दुकान पर शराब पी जिस पर राजू द्वारा और शराब की मांग करने लगा तो हम दोनो फिर से शराब की दुकान पर गये तथा हम दोनो वहां से और शराब ले कर आये तथा फिर हमने अपनी कबाड कि दुकान के अन्दर बैठ कर शराब पी, जिससे राजू को ज्यादा नशा हो गया तो राजू मुझसे वही वात कही की तुम मेरे घर क्यू जाते हो तथा मेरी भाभी से वात क्यू करते हो जिस बात का मुझको वहुत बुरा लगा और मुझको अत्यधिक गुस्सा आ गया, जिससे मैने राजू के चेहरे तथा सिर मे मुक्के मारे जिससे वह बेहोश हो गया। उसके बाद मैंने दुकान के अन्दर ही उसकी छाती पर बैठकर स्टाल से मुंह और नाक को जव तक दबा कर रखा जब तक की वह मर नही गया। उसके बाद मैंने राजू का मोबाइल अपनी दुकान के अन्दर रखे लोहे के बक्से के पीछे फेंक दिया तथा सिम को मोवाइल से निकालकर तोडकर दुकान के बाहर मिट्टी मे फेक दिया था। स्टाल को मैने वही तख्त पर रख दिया, फिर मैंने दुकान का शटर डालकर दुकान बन्द करके फतेहपुर सीकरी अपना मोबाइल सही कराने के लिये दुकान पर आया उसके बाद मैं शाम को अपनी दुकान पर वापस गया और मै बाहर चारपाई पर लेट गया और रात को सन्नाटा होने पर मैने शटर खोल कर राजू के शव को दुकान से बाहर निकाल कर बाहर रखे लोहे के बक्से के ऊपर रख कर कन्धे पर उठाकर चांद होटल के सामने से ले जा कर पास मे बनी वाउन्ड्रीवाल पर रख दिया। उसके बाद दीवार से नीचे उतर कर कन्धे पर रख कर ले जाकर जाकर झाडियो में डाल दिया। उसके बाद मेरे द्वारा दुकान पर जाकर दुकान को बन्द करके मैं वहां से चला गया। उसके बाद से ही मै अपने कबाडे की दुकान पर रोज मर्रा की तरह काम करने लगा, जिससे किसी को मुझ पर शक न हो। आज जब मुझे पता चला की राजू के भाई ने मेरे खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया है तो मैं दुकान बन्द करके अपने घर जाने की फिराक मे था।

अभियुक्त की निशानदेही पर राजू का मोबाइल व हत्या में प्रयोग किया गया स्टाल व टूटा हुआ सिम बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण :–

01. कुँवरपाल पुत्र बदली राम निवासी खेडली जिला अलवर राजस्थान।

बरामदगी का विवरण :–

01. मृतक राजू का मोबाइल।
02. हत्या में प्रयोग किया गया स्टाल व टूटा हुआ सिम।

आपराधिक इतिहास का विवरण :–

01. मु0अ0सं0 166/22 धारा 302/201 भादवि थाना फतेहपुर सीकरी जनपद आगरा।

पुलिस टीम का विवरण :–

01. सहायक पुलिस अधीक्षक/प्रभारी थाना सुश्री श्रुति श्रीवास्तव मय टीम थाना फतेहपुर सीकरी जनपद आगरा।
02. व0उ0नि0 विपिन कुमार थाना फतेहपुर सीकरी जनपद आगरा।
03. उ0नि0 मोहित कुमार थाना फतेहपुर सीकरी जनपद आगरा।
04. उ0नि0 ज्ञानेन्द्र सिंह थाना फतेहपुर सीकरी जनपद आगरा।
05. उ0नि0 सुनील तोमर थाना फतेहपुर सीकरी जनपद आगरा।
06. एसआई यूटी जागेश्वर सिंह थाना फतेहपुर सीकरी जनपद आगरा।
07. एसआई यूटी आकाश कुमार थाना फतेहपुर सीकरी जनपद आगरा।
08. का0 जितेन्द्र कुमार, का0 अरूण शर्मा, का0 अमन कुमार थाना फतेहपुर सीकरी जनपद आगरा।
09. क0ऑ0 झूलेन्द्र सिंह थाना फतेहपुर सीकरी जनपद आगरा।

मीडिया सेल जनपद आगरा।